



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 24 अगस्त, 2026

भाद्रपद 2, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

संख्या 72/सात-जी०सी० न्याय-1-2023-37/91 टी०सी०-3

गृह (पुलिस) विभाग अनुभाग-10

लखनऊ, 24 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प०आ०-467

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 1932/सात-अ०न्या०-497-73, दिनांक 15 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, सारणी में पुलिस विभाग से सम्बन्धित मद 10 में, स्तम्भ 2 और 3 में, प्रविष्टि (7) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

2	3
(8) गृह (पुलिस) विभाग के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती, प्रोन्नति तथा होमगार्ड्स के नामांकन की लिखित परीक्षा और अन्य चरणों की परीक्षा का संचालन करने के लिये सेवा प्रदाताओं एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य हस्ताक्षरित किये जाने वाला समझौता ज्ञापन।	अपर सचिव अथवा परीक्षा नियंत्रक (भर्ती) अथवा परीक्षा नियंत्रक (प्रोन्नति), द्वारा।

आज्ञा से,
उदय प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 72/VII-GC Nyaya-1-2023-37/91T.C.-3 Home (Police) Department Anubhag-10 dated August 24, 2026:

No. 72/VII-GC Nyaya-1-2023-37/91T.C.-3

Home (Police) Department Anubhag-10

Dated Lucknow, August 24, 2026

IN EXERCISE of the powers under clause(1) of Article 299 of the Constitution of India read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no.1932/VII-A N-497-73 dated July 15, 1977 as amended from time to time:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the table in item 10 relating to Police Department in Column-2 and 3, *after* entry (7), the following entry shall Columnwise be *inserted*, namely:-

2	3
(8) Memorandum of Understanding to be signed between the Service Providers and Governor of Uttar Pradesh for Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board, Lucknow of Home (Police) Department for Conducting the written examination and other stages of examination of direct Recruitment, Promotion of Uttar Pradesh Police and Enrolment of Homeguard.	By the Additional Secretary or Examination Controller (Recruitment) or Examination Controller (Promotion).

By order,

UDAI PRATAP SINGH,
Pramukh Sachiv, Nyaya.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 477 राजपत्र-2026-(1170)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० न्याय-2026-(1171)-100 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।